[redacted]

वादी

बनाम

1. [redacted]
2. [redacted] अब्दुल हकीम सोलंकी जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी मोहल्ला [redacted] फतेहपुर
3. नगरपालिका फतेहपुर जरिये अध्यक्ष।
4. तहसीलदार फतेहपुर
5. जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत उदघोषणा खातेदारी एवं रद्द करने नामान्तकरण एवं स्थाई निषेधाज्ञा व राजस्व रिकार्ड में संशोधन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित अधिवक्ता
श्री राजकुमार शर्मा — वादी
श्री मुकेश भातरा — प्रतिवादीगण

दिनांकः—07.08.2019

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 850/2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा (0.48है.) पुख्ता वाके कस्बा फतेहपुर में अवस्थित है।

वादग्रस्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 850 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा पुख्ता थे। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार श्यामसुन्दर पुत्र गौरीदत्त तथा श्रीमती हरदेई देवी पत्नी गौरीदत्त थे जिन्होनें वादग्रस्त सम्पूर्ण को जरिये पंजिकृत विकय पत्र मालियत 52000/— रूपये के जरिये वादिया के पिता स्व. अब्दुल हकीम तथा वादिया के भाई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दिनांक 17.01.18 को विकय कर कब्जा संभला दिया। उक्त विकय पत्र उप पंजीयक फतेहपुर के कार्यालय में पंजीबद्ध है जिसकी पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 27 पृष्ठ सं. 349 से 350 क्रम संख्या 7 पर दिनांक 17.01.18 को पंजीकृत है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि को वादिया के पिता ने सप्रतिफल कय कर कब्जा प्राप्त कर लेने से वादिया के पिता वादग्रस्त भूमि के स्वामी खातेदार काश्तकार कानूनन हो गए थे तथा काबिज काश्तकार थे।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

वादग्रस्त भूमि के क्रय करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि की खातेदारी कानूनन वादिया के नाम से हो जानी चाहिए थी। किन्तु सहवन से वादग्रस्त भूमि की खातेदारी पूर्व खातेदार श्यामसुन्दर पुत्र गौरीदत्त के नाम से ही बनी रह गई व बाकी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादिया के पिता अब्दुल हकीम तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम होनी चाहिए थी।

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने अवैध तथा गलत रूप से वादग्रस्त भूमि को पूर्व खातेदार श्यामसुन्दर पुत्र गौरीदत्त के स्थान पर सिवाय चक मकबूजा सरकार के नाम से कर दी तथा खातेदारी की किस्म बारानी कृषि से सिवायचक कर दिया तथा खातेदारी श्यामसुन्दर के स्थान पर मकबूजा सरकार कर दी तथा उक्त अंकन का नामान्तरण करवा संख्या 1756 भर कर तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तरण संख्या 1756 दिनांकित 23.10.86 अवैध गलत तथा विधि विरूद्ध है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि को वादिया के पिता ने सन् 1978 में ही पूर्व खातेदार श्यामसुन्दर से क्रय कर लिया था। इस कारण उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार वादी के पिता तथा भाई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में निहित हो चुके थे तथा प्रतिवादी संख्या4 व 5 ने वादी के पिता तथा भाईयों को नहीं सुना तथा ना ही उन्हें सुनवाई का मौका दिया तथा ना ही उन्हें अपने अधिकारों का बचाव हेतु प्रतिरक्षा करने का अवसर मिला तथा उस नामान्तरण संख्या 1756 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। इस कारण नामान्तरण सं. 1756 निरस्त किए जाने योग्य है।

तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि की किस्म सिवायचक तथा वादग्रस्त भूमि का खाता भूमि का खाता मकबूला सरकार के स्थान पर नगरपालिका फतेहपुर के नाम कर दिया गया। जिसका नामान्तरण सं. 4792 दिनांकित 02.05.2012 है। जो अवैध, विधि विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से खारिज एवं निरस्त किए जाने योग्य है।

वादिया के पिता तथा भाईयों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादशुदा भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा क्रय कर लिए जाने के कारण वादिया के पिता तथा भाईयों को कानूनन खातेदार के सभी अधिकार प्राप्त हो गए थे। चूंकि वादिया के पिता की मृत्यु हो गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस समय यहां नहीं है इस कारण उन्हें प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया है तथा वादिया बतौर उत्तराधिकारी ससुराल में होने से तथा भूमि की हकदार खातेदार तथा काश्तकार हो गई है। इस कारण वादिया अपने नाम खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा करवाना चाहती है।

वादीगण पत्नी पति है तथा दोनों खेतों को सम्मिलित कर काश्त करते है मौके पर दोनों खेतों को वादीगण ने सम्मिलत कर रखा है तथा अपनी भूमियों की सुरक्षा हेतु चारों तरफ पुख्ता बाउन्ड्री बना रखी है तथा वादग्रस्त भूमि के अंदर पुख्ता मकान बना रखा है तथा गेट लगाकर अपनी भूमि को शांतिपूर्ण उपयोग एवं उपभोग एवं काश्त करते आ रहे है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भूमाफियां लोगों से मिलकर वादीगण की भूमि पर अवैध कब्जा करने तथा वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा दिनांक 11.08.2013 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वादीगण को धमकी दी है कि वो वादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल कर देगे तथा वादीगण के उपयोग एवं कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करेगें जिसका

नामान्तरण संख्या 1756 एवं नामान्तरण सं. 4792 को निरस्त कर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक है तदहेतु वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 डिक्री किया जाकर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि ख0 नं0 850/2 रकबा 0.48है0 भूमि वाके कस्बा फतेहपुर का खातेदार उदघोषित किया जावे तथा नामान्तरण संख्या 1756 एवं 4792 को निरस्त किया जावे।

वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वर्तमान खातेदारी निरस्त की जावे तथा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड दर्ज नाम हटा कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से रिकार्ड बनाया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

मिसल मूर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री मुकेश भातरा एड. ने वकालतनामा पेश किया व जवाब दावा पेश नहीं करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 की जवाबदेही बंद की गयी। साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू 1 रज्जाली एवं पीडब्ल्यू 2 मेमूना के सशपथ बयान पेश किये गये। वकील प्रतिवादी ने जिरह से इंकार किया। बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 24.05.1986 के द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि ख0 नं0 850/2 रकबा 0.48है0 भूमि वाके कस्बा फतेहपुर की खातेदारी सिवायचक घोषित की गयी है। वर्तमान में उक्त खाता नगरपालिका के नाम है। अतः वादग्रस्त आराजी सिवायचक (नगरपालिका) दर्ज होने अथवा उसके पूर्व सिवायचक भूमि रहने के आधार पर अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी चाही गयी है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

(रेखा मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास...............रेनू मीणा (आर.ए.एस..)..

...पत्नी इस्माइल पुत्र अब्दुल हकीम सोलंकी उम्र 52 वर्ष जाति व्यापारी निवासी वार्ड नं. 10 मोहल्ला व्यापारियान, चौगटे के पास, फतेहपुर जिला सीकर (राज0)
जरिये मुख्तयार रज्जाली पुत्र यासीन काजी निवासी वार्ड नं. 6 फतेहपुर

वादी

बनाम

1. अब्दुल मोहसीन
2. अब्दुल क्यूम पुत्रगण अब्दुल हकीम सोलंकी जाति व्यापारी मुसलमान, निवासी मोहल्ला व्यापारीयान फतेहपुर
3. नगरपालिका फतेपुर जरिये अध्यक्ष।
4. तहसीलदार फतेहपुर
5. जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत उदघोषणा खातेदारी एवं रद्द करने नामान्तकरण एवं स्थाई निषेधाज्ञा व राजस्व रिकार्ड में संशोधन</u>

मुकद्दमा नं.....74...........................सन्....2014..

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..

व हाजिरी...श्री राजकुमार शर्मा एडवोकेट...........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री मुकेश भातरा मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त भूमि ख0 नं0 850/2 रकबा 0.48है0 भूमि वाके कस्बा फतेहपुर का वर्तमान में खाता नगरपालिका के नाम है। अतः वादग्रस्त आराजी सिवायचक (नगरपालिका) दर्ज होने अथवा उसके पूर्व सिवायचक भूमि रहने के आधार पर अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी चाही गयी है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....07......माह ......अगस्त............सन् 2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत...
(रेनू मीणा)

ओहदा...
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
र्जी दावा	3		स्टाम्प अर्जी दावा	–	
वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
न्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	
मीजान	4			1	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर